

Ex AB 9/2017

हिन्दुस्तान कॉपर लि० मलाजखण्ड वि. अरोरा मैथी लिमि.  
कोलकाता

11-01-2018

डिक्रीधारी विधि अधिकारी श्रीमती दीपिका उरमलिया सहित  
श्री अरविंद गर्ग अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णितऋणी कंपनी की ओर से विक्रय अधिकारी श्री एस०  
बैनर्जी स्वतः उपस्थित।

उभयपक्ष के हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा आवेदन पत्र  
पेश किया गया।

उभयपक्ष की पहचान न्यायालय के समक्ष श्री  
अरविंद गर्ग अधिवक्ता द्वारा की गई। आवेदन पत्र के  
निराकरण हेतु उभयपक्ष के उपस्थित अधिकारीगण के  
राजीनामा कथन लेख किए गए।

निष्पादन कार्यवाही के अनुसार डिक्रीधारी संस्था  
को निर्णितऋणी संस्था से राशि वसूल किया जाना था जो  
उन्होंने साक्षीगण के कथन के अनुसार प्राप्त कर ली है उनके  
मध्य को राशि वसूली संबंधी विवाद शेष नहीं रह गया है।

अतः पेश आवेदन पत्र अभिलेख पर स्वीकार किया  
जाता है और निष्पादन कार्यवाही पूर्ण संतुष्टि में समाप्त की  
जाती है।

नतीजा दर्ज हो, नम्बर से निरस्त हो, अभिलेख  
अभिलेखागार में जमा हो।

सही / —

(माखनलाल झाड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर